

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/एच-33/2019/

दिनांक:

:-आदेश:-

सुश्री हेमलता सांवरिया, फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन), खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी चाकसू जयपुर द्वितीय का दिनांक 31.01.2018 से 28.02.2018 तक कुल 29 दिवस की अकार्य अवधि स्वीकृत की जाती है। उक्त अवधि सेवा के किसी भी प्रयोजनार्थ मान्य नहीं होगी।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 488 दिनांक 13.02.2019 के अनुसरण में जारी की जाती है।

sd -

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/एच-33/2019/121

दिनांक: 13-03-2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चाकसू (जयपुर द्वितीय) को उनके पत्र क्रमांक 430 दिनांक 05.04.2018 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित करे।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर